

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी- सुदर्शन सिंह तोमर

क्र०सं०	अपील सं०	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	142/25	2025/220	18/12/2025	हरकेश बनाम सरकार	13.01.2026	1 लगायत 2

1. हरकेश पुत्र घसीडया आयु 60 साल जाति मीना निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर।
बनाम -अपीलार्थी

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार तहसील वजीरपुर।
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956
-रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित:-

1. अपीलार्थी पक्ष की और से :- विद्वान अधिवक्ता श्री सन्तोष कुमार जाटव
2. रेस्पोंडेन्ट पक्ष की और से :- परोकार सरकार

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 153/25 में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम खण्डीप के आराजी ख०नं० 1036 रकबा 0.02 है० किस्म सिवायचक गै०मु०रास्ता पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.10.2025 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानने में भारी कानूनी भूल की है। प्रार्थी पश्चात्वर्ती की श्रेणी में नहीं आता है। पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थी को वास्तविक रूप से भौतिक रूप से बेदखल किया गया हो। अधिनस्थ न्यायालय से अपीलार्थी को

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0सं0 142/2025 हरकेश बनाम सरकार ।

हल्का से जिरंह का भी कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। ऐसे एकतरफा बयानों पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के विश्वास पर कानूनी भूल की है। प्रार्थी अपीलार्थी का खसरा नम्बर 1036 रकबा 0.02 है0 के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा नहीं कर रखा है, ना ही प्रार्थी अपीलार्थी को उक्त आराजी पर कोई अतिक्रमण है, साथ ही विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही परोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है, साथ ही अपील अपीलार्थी ने अपनी अपील तथा दौराने बहस कथन किया है कि उक्त वाद आराजीयात पर अपीलार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है।

अतएव: परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वजीरपुर को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि तहसीलदार वजीरपुर आदिनांक से दिनांक 31.03.2026 तक प्रत्येक तीन माह में एवं संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक प्रत्येक माह में स्वयं कब्जा जांच करेगा। यदि अपीलान्त कब्जा छोड़ दे तो निर्णय दिनांक 31.10.2025 खारिज कर सजा माफ कर दी जावेगी तथा यदि अपीलान्त का कब्जा काशत पाया जाता हैं तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.10.2025 यथावत रखा जावेगा। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलेक्टर,
गंगापुर सिटी